राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट-IV जयपुर, दिनांक 29 MAR 2016

आदेश

पूर्व में विभागीय आदेश दिनांक 26.08.2015 के द्वारा 2 हैक्टयर स आधिक क्षेत्रफल की ग्रुप हाउसिंग योजनाओं व अन्य एकल पट्टा प्रकरणों में 5 प्रतिशत भूमि सुविधाओं हेतु आरक्षित रखे जाने के संबंध में स्पष्ट किया गया था कि विद्यमान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 में ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी किये जाने हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित रखे जाने का प्रावधान है। यही प्रावधान सभी प्रकार की ग्रुप हाउसिंग एवं अन्य उपयोगों हेतु जारी एकल पट्टा प्रकरणों पर लागू किया गया है।

उक्त निःशुल्क समर्पित 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का उपयोग सिटी लेवल सुविधाओं यथा पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, राजकीय डिस्पेन्सरी और स्वास्थ्य केन्द्र, बिजली सब-स्टेशन, वाटर टैंक आदि सुविधाओं के लिए किया जाना है। उक्त आरक्षित सुविधा क्षेत्र का विक्रय टाउनशिप योजना के तहत् विकसित 2 हैक्टेयर से अधिक की ग्रुप हाउसिंग योजनाओं एवं एकल पट्टो के प्रकरणों में आवेदक/विकासकर्ता को पुनः नहीं किया जा सकता है। सभी उपयोग के लिए 2 हैक्टेयर से अधिक के एकल पट्टो के प्रकरणों में 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र दर्शाते हुए ले-आउट प्लान अनुमोदित किया जाना सुनिश्चित करावें तथा 2 हैक्टेयर तक क्षेत्रफल के प्रकरणों में 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि नियमानुसार ली जावे।

11/3/16

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
6. निदेशक, स्थानीय निकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
10. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय